(94)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2336-I/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 18/2011–12/निगरानी.

शिवनारायण आत्मज नंदाजी पाटीदार
निवासी ग्राम शिवपुर जिला रतलाम

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रामकुवंर पिता गणेशीलाल
निवासी ग्राम शिवपुर जिला रतलाम

..... अनावेदक

.....

श्री संदेश परिहार, अभिभाषक, आवेदक
श्री सतीश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार रतलाम के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम शिवपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 21 रकबा 2.360 है जिस पर अपने जाने हेतु रूढिगत रास्ता था जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण

दर्ज कर दिनांक 3–12–11 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–4–12 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण दिनांक 22–9–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष अभिभाषकगण 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदक के अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः प्रकरण के निराकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित व आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारो पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदिका द्वारा आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि आवेदक द्वारा ओटा कब बनाया गया और नाली खोदकर रास्ता कब बन्द किया गया । आवेदन पत्र में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है । अनावेदक की 2 वर्ष की फसल नष्ट हुई है, इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) 2 साल तक रास्ता अवरूद्ध रहने के कारण ऐसी क्या आवश्यकता थी कि अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाया गया है अर्थात अनावेदिका के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था।

(3) अंतरिम आदेश एवं निगरानीग्रस्त आदेश लगभग 4 वर्ष पश्चात् पारित हुआ है अतः ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाया जाये ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है अतः अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

(3) अनावेदिका द्वारा आवेदक के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 5–ए/2013 प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 21–11–14 को आदेश पारित कर ओटे के निर्माण पर रोक लगाई गई है ।

(4) आवेदक की ओर से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह दूसरी निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी के आधार नहीं है । अतः इस प्रकरण में यह न्यायिक एवं विधिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाये कि वे प्रकरण का निराकरण दो माह में करें ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का अंतिम निराकरण दो माह में करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.